| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 19.05.2025 | वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील गैरसायलान की ओर से श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल संख्या 2 की ओर से प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 27.01.2025 को गैरसायल के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, जबकि किसी भी नोटिस से गैरसायल पर विधिवत तामील नहीं हुई है। गैरसायल प्रकरण में कन्टेस्ट करना चाहता है। इसलिए उसके विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र अभी प्रारम्भिक स्टेज पर ही विचाराधीन है, प्रकरण के प्रभावी निस्तारण हेतु सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। गैरसायल संख्या 2 के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 27.01.2025 निरस्त की जाती है। गैरसायल संख्या 1 व 2 की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वकील गैरसायलान ने फार्म नम्बर 3 के साथ दस्तावेजात पेश करते हुए, अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में निवेदन किया कि गैरसायल संख्या 1 ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 989/816 व 991/820 बाकै ग्राम बगचोली खार के लिए प्रकरण संख्या 114/2023 उनवानी भीकाराम बनाम तहसीलदार मनियां तथा गैरसायल संख्या 2 ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 988/816 व 990/820 बाकै ग्राम बगचोली खार तहसील मनियां जिला धौलपुर के लिए प्रकरण संख्या 113/2023 उनवानी गंगाराम बनाम तहसीलदार मनियां के प्रार्थना पत्र धारा 129 एलआरए के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर के यहॉ प्रस्तुत किये हुए है। जो न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में तहसीलदार मनियां से रिपोर्ट भी तलब की गई तहसीलदार मनियां ने अपने पत्रांक 939 दिनांक 21.10.2024 से अवगत कराया कि उक्त विवादित आराजी पर न्यायालय हाजा की हस्तगत प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के कारण पैमाईश की कार्यवाही नहीं हो सकती है। गैरसायलान की आराजी से लगी सायलान की आराजी खसरा नम्बर 682/762 की आड़ में सायलान ने स्वयं गैरसायलान की आराजी पर कब्जा कर रखा है। इसलिए जब गैरसायल संख्या 1 व 2 ने अपनी-अपनी आराजी की पैमाईश व पत्थरगढ़ी के बाबत् न्यायालय उपखण्डाधिकारी महोदया धौलपुर के यहॉ | |

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज.)

सायलान के प्रार्थना पत्र से पूर्व सन् 2023 से ही प्रस्तुत कर दिया तो सायलान ने अनावश्यक रूप से उक्त पत्थरगढ़ी को रोकने की नियत से यह प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय में प्रस्तुत किया है तथा झूठे तथ्यों के आधार पर स्थगन आदेश ले रखा है। जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि गैरसायल संख्या 1 व 2 पैमाईश एवं पत्थरगढ़ी कराकर अपनी आराजी को सुरक्षित करना चाहते है, तहसीलदार मनियां ने हाजा प्रकरण में जारी स्थगन आदेश की वजह से पैमाईश की कार्यवाही रोक दी है, सायलान द्वारा भी मूलवाद उसकी सीमा में अतिक्रमण के बाबत् प्रस्तुत किया है, तहसीलदार मनियां द्वारा यदि पैमाईश की जाती है तो सायलान एवं गैरसायलान की आराजीयात की सीमाओं का सही चिन्हीकरण हो सकेगा तथा यह विवाद मूलतः ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाये जाने का निवेदन किया है जिससे तहसीलदार मनियां द्वारा पैमाईश की कार्यवाही की जा सके।

वकील सायलान ने कथन किया कि गैरसायलान द्वारा न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में विचाराधीन प्रकरणों के बारे में सायलान को कोई जानकारी नहीं है। यह सीमाओं का विवाद है, मूलवाद में साक्ष्य के बाद निस्तारण किया जा सकेगा। इसलिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को पुष्ट करते हुए मूलवाद के निस्तारण तक गैरसायलान को पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। आदेशिका दिनांक 06.08.2024 से सायलान की आराजी खसरा नम्बर 680/762 एवं गैरसायलान की आराजी खसरा नम्बर 820/680 (990/820) एवं 821/680 (991/820) पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। गैरसायलान द्वारा पैमाईश हेतु न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर के यहॉ प्रकरण संख्या 114/2023 उनवानी भीकाराम बनाम तहसीलदार मनियां तथा प्रकरण संख्या 113/2023 उनवानी गंगाराम बनाम तहसीलदार मनियां वास्ते खसरा नम्बर 989/816, 991/820, 988/816 व 990/820 बाकै ग्राम बगचोली खार तहसील मनियां जिला धौलपुर की पैमाईश एवं पत्थरगढ़ी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 129 एलआरए का प्रस्तुत किया हुआ है। हाजा मूलवाद भी सायलान एवं गैरसायलान की आराजीयात की सीमा विवाद का है। विवादित आराजीयात की पैमाईश होने से सीमा विवाद समाप्त हो

उपखण्डाधिकारी धौलपुर
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

सकता है। गैरसायल संख्या 1 व 2 द्वारा हस्तगत प्रकरण के दायर होने से पूर्व ही न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में अपनी आराजी की पैमाईश व पत्थरगढ़ी के बाबत् वर्ष 2023 में अन्तर्गत 129 एलआरए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिससे यह स्पष्ट है कि गैरसायल संख्या 1 व 2 अपनी अपनी आराजी की सीमाओं का सीमांकन हाजा प्रकरण के दायर होने से पूर्व से ही कराना चाहते है। जिससे यह स्पष्ट है कि गैरसायलान संख्या 1 व 2 अपनी आराजी की पैमाईश कराकर पत्थरगढ़ी कराकर अपनी आराजी को सुरक्षित करना चाहते है, ना कि सायलान की आराजी में कोई हस्तक्षेत करना चाहते है। सायलान द्वारा भी अभी तक प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि जिससे यह सिद्ध हो कि गैरसायलान द्वारा सायलान की आराजी खसरा नम्बर 682/762 बाकै ग्राम बगचोलीखार तहसील मनियां जिला धौलपुर पर कोई हस्तक्षेप किया हो। सायलान द्वारा प्रस्तुत मूलवाद एवं गैरसायलान द्वारा न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर के यहॉ प्रस्तुत अन्तर्गत 129 एलआरए के प्रकरण दोनों ही एक–दूसरे की सीमाओं के सीमांकन के बाबत् विचाराधीन है। जिसका सायलान एवं गैरसायलान की विवादित आराजीयात की पैमाईश होने पर सही सीमांकन होने पर ही निस्तारण किया जा सकता है। तहसीलदार मनियां ने अपनी रिपोर्ट 939 दिनांक 21.10.2024 से हाजा प्रकरण में दिनांक 06.08.2024 को जारी अंतरिम अस्थाई के कारण विवादित आराजी की पैमाईश की कार्यवाही नहीं हो पाना बताया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 212 आरटीए खारिज किया जाना न्यायालय उचित समझती है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र सायलान 212 आरटीए खारिज किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 680/762, 820/680 (990/820), 821/680 (991/820) बाकै ग्राम बगचोलीखार तहसील मनियां जिला धौलपुर के बाबत् दिनांक 06.08.2024 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संलग्न मूलवाद रहे।

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)